रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 1994/माघ 4, 1915
No. 26] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 1994/MAGHA 4, 1915

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1994

सा. का. नि. 31(अ) :— केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम सं. 13) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"6क. छुट्टी यात्रा रियायत (1) अध्यक्ष उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता नियम, 1956 में दी गई उन्हीं दरों से और उन्हीं मापमानों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू है।

(2) कोई सदस्य उन्हीं दरों से और उन्हीं मापमानों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले समूह "क" अधिकारियों को लागू हैं।"

[फा. सं. 14 (4)/93 – सी.ए]

ओ. पी. आहूजा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 1994

G.S.R. 31(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (No. 13 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely :—

"6A. Leave Travel Concession.—(1) The Chairman shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales as are applicable to a Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956.

(2) A member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government, drawing an equivalent pay."

[F. No. 14(4)/93-CA]

O. P. AHUJA, Under Secy.

Note :—The principal rules were published vide GSR 395(E) dated 4-8-1978 and subsequently amended vide GSR 1177 dated 15-11-1980, GSR 953(E) dated 31-12-1985, GSR 592 dated 08-08-1987 and GSR 950 dated 24-11-1988.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

IndiaCode